राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प – दुधवा नांगलिया

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर –112/2020

रामजीलाल पुत्र गादिया जाति गुर्जर निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........वादी

ब–ना–म

1. ग्यारसीलाल पुत्र गोदिया जाति गुर्जर निवासी दूधवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादीगण

दावा– अधिकार घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

–: निर्णय :– **दिनांक 08–10–2021**

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम दूधवा स्थित हाल जमाबंदी संवत् 2070 लगायत 2073 के खाता सं. 507 खसरा नंबर 107 रकबा 0.13 है., ख.नं. 108 रकबा 0.04 है., ख.नं. 120 रकबा 0.28 है., ख.नं. 124 रकबा 0.25 है., ख.नं. 365 रकबा 0.63 है. कुल किता 5 कुल रकबा 1.33 है. वादी व वादी की माता रेशमी पत्नी गोदिया के नाम से खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 की माता का स्वर्गवास होने पर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम से विरासतन नामांतकरण दर्ज हो गया तथा उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा हो गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 21.05.2018 को आपसी सहमति से उक्त भूमि का खाता विभाजन करवा लिया। लेकिन उक्त खाता विभाजन गलती से कब्जे काश्त के अनुसार नहीं किया गया। वादी का मौके पर ख.नं. 3431/365 रकबा 0.32 है., ख.नं. 124 रकबा 0.25 है., ख.नं. 120 रकबा 0.05 है., ख.नं. 108 रकबा 0.04 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 है. पर कब्जा काश्त है तथा प्रतिवादी सं. 1 ख.नं. 3430/365 रकबा 0.31 है., ख.नं. 120 रकबा 0.23 है., ख.नं. 107 रकबा 0.13 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.67 है. पर कब्जा काश्त है। उक्तानुसार खातेदारी व राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी को ग्राम दूधवा स्थित भूमि ख.नं. 3431/365 रकबा 0.32 है., ख.नं. 124 [illegible]5 है., ख.नं. 120 रकबा 0.05 है., ख.नं. 108 रकबा 0.04 है. कु[illegible] है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादी सं. 1 को ग्राम दूधवा स्थित भूमि ख.नं. 3430/365 रकबा 0.31 है., ख.नं. 120 रकबा 0.23 है., ख.नं. 107 रकबा 0.13 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.67 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.06.27 16:13:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन् जारी की गई। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने आज राजस्व लोक अदालत में कैम्प उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। उपस्थित उभय पक्षकारान ने आपसी सहमति राजीनामा के मुताबिक वाद वादी डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा के स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार कर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम दूधवा स्थित भूमि खसरा नंबर 3431/365 रकबा 0.32 है., ख.नं. 124 रकबा 0.25 है., ख.नं. 120/2 रकबा 0.05 है., ख.नं. 108 रकबा 0.04 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.66 है. का वादी रामजीलाल को तथा ख.नं. 3430/365 रकबा 0.31 है., ख.नं. 120/1 रकबा 0.23 है., ख.नं. 107 रकबा 0.13 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.67 है. भूमि का प्रतिवादी सं. 1 ग्यारसीलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज लोक अदालत कैम्प दुधवा नांगलिया में दिनांक 08-10-2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.06.27 16:13:52 IST
Reason: SelfAttested